मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २५५/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४४२/२०१५)
राज कुमार परिहार आदि बनाम राजेश आदि

<u>०५.०१.२०२१</u>

३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी राज कुमार द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार प्रार्थी के नाम जमा पुष्टि ग्राहक आई डी सं. एफ.एल.ई. ०२३४८१ खाता सं. ३६७१००पी यू ०००४३०८५ ₹ ५५,५६४ की पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी बनाई गई है। प्रार्थी बेरोजगार है तथा उसका पुत्र इंगलिश मीडियम स्कूल का छात्र है, उसकी माँ बीमार रहती है। प्रार्थी फलों का ठेला लगाकर व्यापार करना चाहता है, वह कर्ज लेकर भरण-पोषण कर रहा है तथा करोना काल में वह अत्यधिक परेशान है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उक्त जमा पुष्टि की धनराशि उसके पक्ष में रिलीज करने की कृपा की जाय। प्रार्थी ने समर्थन में अपना शपथपत्र, उक्त जमा पुष्टि की छाया प्रति, अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता कि प्रस्तुत याचिका में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम, झाँसी द्वारा दिनांक १०.०१.२०१७ को प्रार्थी की पत्नी की मोटर वाहन दुर्घटना मे मृत्यु पर ₹ ४,०९,००० मय ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से याचीगण को बराबर-बराबर भाग में प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया है तथा प्रार्थी/याची सं. १ राज कुमार को प्राप्त होने वाली धनराशि में से उसे १/२ भाग नकद प्राप्त होना थे तथा उसके भाग की २५ प्रतिशत की धनराशि ५ वर्ष के लिए तथा शेष २५ प्रतिशत धनराशि ७ वर्ष के लिए निवेशित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल उक्त जमा पुष्टि की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमा पुष्टि ₹ ५५,५६४ की संबंधित पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिनांक १०.०३.२०१७ को राज कुमार परिहार के नाम जारी की गई है, जिसकी परिपक्वता तिथि १०.०३.२०२२ है। उक्त से स्पष्ट है कि यह जमा पुष्टि पांच वर्ष के लिए जारी है। प्रार्थी द्वारा अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया गया है। प्रार्थी/याची की प्रार्थनापत्र में वर्णित उक्त धनराशि की आवश्यकता वास्तविक प्रतीत नही होती है। पिता का यह दायित्व है कि वह पुत्र की स्कूल फीस व ठेले भर की धनराशि स्वयं अर्जित करे। जमा पुष्टि को समय से पूर्व समाप्त करने से ब्याज की बहुत अधिक क्षति होगी अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का ३बी प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाता है।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.05 12:30:32 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi